राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(10)गृह–1/2021 जयपुर, दिनांक : 24.12.2021

–: आज्ञा :–

राजस्थान राज्य एवम् अधीनस्थ सेवाऐं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 25 व 30 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं। यह संगत तिथि हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आधारभूत पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण) के लिये रिपोर्ट करने की तिथि दिनांक 27.12.2021 प्रातः 09.30 बजे अथवा पूर्व में आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगीः–

क्र.सं.	मेरिट नंबर	रोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम (सुश्री/सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	वर्ग
1.	44	809477	AKANKSHA KUMARI	20-11-1993	GE,WE
2.	46	806926	ANIL KUMAR	11-01-1994	GE,RG
3.	49	814448	CHANDAN PRAKASH	04-07-1983	GE
4.	50	811064	RAVI PRAKASH SHARMA	04-05-1986	GE,RG
5.	51	821225	SHIVRAJ SINGH	01-01-1993	GE
6.	52	810039	VINAY CHAUDHARY	10-07-1996	GE
7.	53	821035	NEETU	23-02-1984	GE,WE,RG
8.	59	809487	AYUSH VASHISHTHA	23-07-1994	GE
9.	61	809787	ASHOK JOSHI	22-09-1989	GE
10.	62	809640	KRATIKA YADAV	07-06-1989	GE,WE
11.	66	813729	CHARUL GUPTA	14-10-1997	GE,WE
12.	68	810585	MEGHA GOYAL	16-09-1996	GE,WE
13.	70	824415	NARENDRA NAGAR	25-08-1993	BC (Against GE)
14.	71	810424	ANUPAM MISHRA	05-03-1994	GE
15.	72	825017	ANGAD SHARMA	28-12-1992	GE
16.	77	800214	KARTIKEYA LATA	06-11-1990	GE
17.	79	812039	SONU CHOUDHARY	12-08-1995	GE,WE
18.	81	809810	KRISHAN KUMAR YADAV	28-01-1990	BC,RG (Against GE)
19.	82	808967	SARIKA KHANDELWAL	09-05-1992	GE,WE (Against GE)
20.	86	812326	SANDEEP SINGH	11-03-1994	BC (Against GE)
21.	87	811128	SHIVAM JOSHI	22-05-1995	GE
22.	92	813889	ANJALI SINGH	26-09-1992	BC,WE
23.	95	806721	PAREEKSHIT	24-01-1992	BC
24.	96	809750	MEENAXI	17-09-1993	BC,WE (Against BC)
25.	97	805390	ANUJ DALL	14-08-1990	BC,RG
26.	100	809825	KANA JANGID	04-07-1993	BC
27.	146	824496	OM PRAKASH BISHNOI	01-07-1983	BC,NG
28.	154	825163	PUSHPENDRA SINGH RAJAWAT	04-01-1986	GE,NG,RG,TSP-UR
29.	183	813634	RAJENDRA KUMAR GURJAR	15-10-1995	MB
30.	198	813875	MANISHA BAI GURJAR	01-05-1994	MB,WE (Against MB)
31.	280	809742	MANISHA MEENA	14-08-1994	ST,WE
32.	289	824041	DILIP KUMAR MEENA	09-11-1992	ST
33.	307	809097	JAIPAL SINGH	15-12-1982	GE,EX

24/12/21

Contd-2.

34.	318	808120	DILEEP MEENA	09-12-1993	ST
35.	343	813440	MANISHA MEENA	19-04-1992	ST,WE (Against ST)
36.	1727	824387	SHWETA PATHAK	12-02-1977	GE,WE,WD,RG

(GE : General, BC : Backward class, WE : Woman, RG : Rajasthan Govt, NG : Non Gazetted, SC : Scheduled Caste, ST : Scheduled Tribe, MB : Most Backward, WD : Widow, TSP : Tribal Sub Plan, UR : Un Reserved, EX: Ex Service Man)

1. उक्त नियुक्तियाँ एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4296/2021 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4131/2020 ज्योति शर्मा बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 11806/2021 शिप्रा चौधरी बनाम राज्य एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 7044/2020 किशन लाल सहारण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 8380/2015 राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13582/2021 नटवर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13976/2021 कुलवन्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं राज0 राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2018 से संबंधित दायर समस्त रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरणों के अन्तिम निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।
2. जिन अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी नियुक्तियाँ सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी।
3. उक्त नियुक्तियाँ समस्त मूल दस्तावेजों की जॉच के अध्यधीन रहेगी।
4. इन परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांकः प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
5. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र कमांकः प. 15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
6. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
7. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉ राजस्थान पुलिस सेवा नियमों के नियम 30 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई हैं।
8. उक्त नियुक्तियॉ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन हैं।
9. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परीवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
10. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।
12. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
13. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से दिनांक 27.12.2021 को प्रातः 9:30 बजे (कमरा नं. 1112, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में) उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
14. अभ्यर्थियों को दिनांक 27.12.2021 को प्रातः 9.30 बजे तक अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में उपस्थित हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए हरीश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा तय प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा दिनांक 27.12.2021 अपरान्ह से उपलब्ध होगी।
15. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाईट **www.hcmripa.gov.in** पर उपलब्ध है। **hcmripa** जयपुर के पत्र दिनांक 30.11.2021, 03.12.2021 एवं 21.12.2021 में उल्लेखित दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना किया जाना होगा।
16. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

24/12/21

Contd-3.

17. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को **"Self Declaration"** अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

18. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, जीवित संतान/संतानों की सूचना एवं धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।

19. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

20. कार्यग्रहण करने के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी/सहायता हेतु श्री गुरू प्रसाद शर्मा, सहायक शासन सचिव मो.नं. 9660050176 एवं श्री अमित कुमार सैनी, अनुभागाधिकारी मो.नं. 9799445846 से संपर्क किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

24/12/21

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस
0141–2227294

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय (गृह) राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0 जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ठ सचिवगण।
6. निदेशक, हरीश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव, प्रशिक्षण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 11 में उल्लेखित **"बन्ध पत्र"**, बिन्दु संख्या 17 में अंकित **आपराधिक प्रकरणों** के संबंध में **"Self declaration"** अथवा शपथ पत्र तथा बिन्दु संख्या 18 के अनुसार, जो अभ्यर्थी विवाहित हों उनके विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
7. महानिदेशक पुलिस, राज0 जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
11. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
14. संबंधित अधिकारी (क्र. सं. 01से 36 तक) को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित दिनांक एवं समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक का प्रमाण पत्र अथवा उसके अभाव में रिपोर्टिंग समय से 48 घंटे पहले की RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में पासपोर्ट साईज फोटो की 10 प्रतियां, स्टाम्प साईज फोटो की 10 प्रतियां, बैंक खाते का सम्पूर्ण विवरण मय कैन्सिल्ड चैक, पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति, कक्षा 10 की अंकतालिका एवं उक्त नियुक्ति आदेश सहित औपचारिक वेशभूषा में उपस्थित होवें।
15. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग – उक्त नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट पर " RPS Appointment Dated 24-12-2021 (Exam 2018) " शीर्षक से अपलोड करने हेतु।
16. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

24/12/21
संयुक्त शासन सचिव,पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

24/12/21
संयुक्त शासन सचिव,पुलिस